17.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट खेड़ में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड खतौनी के अनुसार ग्राम बीरपुरा के भूमि ख०नं० - 180, 181, 182 व 191 की खातेदारी मंदिर मूर्ति श्री बालाजी महाराज के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादी नं० 2 किस हैसियत से वादपत्र लाये हैं स्पष्ट नहीं है। इस मंदिर की खातेदारी भूमि के संबंध में वादी नं० 2 को कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है कि वे प्रतिवादीगण को पाबन्द करावे। प्रस्तुत वादपत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.5.18 को कोर्ट कैम्प खेड़ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]